मदरसा मान्यता नवीनीकरण सत्र 2017–20 हेतु महत्वपूर्ण निर्देश एवं आवेदन करने की प्रक्रियाः–

पूर्व सत्र की भांती इस सत्र में भी म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा मदरसों की मान्यता का नवीनीकरण 3 सत्रों के लिये जारी किया जावेगा इसके लिये बोर्ड द्वारा शुल्क राशि रू. 3000/– निर्धारित की गई है। 3 सत्रों की मान्यता का नवीनीकरण प्राप्त करने के लिये बोर्ड में सम्पूर्ण विवरण सहित प्रस्ताव फाईल के रूप में भेजना होगा। जिन मदरसों की मान्यता का गेप हुआ है वह मदरसे केवल पिछले 3 सत्र एवं आगामी 3 सत्र की मान्यता का नवीनीकरण, शुल्क राशि रू. 1000/– प्रति सत्र के मान से ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से जमा कर मदरसे की मान्यता प्राप्त कर सकेंगे।

निम्न बिन्दुओ के माध्यम से आपको इस सत्र में ऑनलाइन आवदेन करने की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है वह इस प्रकार है –

अ. पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया

आ. आवेदन उपरांत बोर्ड को भेजा जाने वाला प्रस्ताव

इ. मदरसा बोर्ड से मान्यंता प्राप्त करने के बाद के कार्यक्रम

ई. म.प्र. मदरसा बोर्ड से संबंधित अन्य सूचनायें।

अ.पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया :

स्केन होकर अपलोड होने वाले दस्तावेज–

a. संकुल केन्द्र द्वारा अनुमोदित सांख्यिकी–पत्रक (प्रारूप–अ),

b. संकुल केन्द्र द्वारा अनुमोदित मदरसा विद्यार्थियों की SSSMID की जानकारी का प्रारूप–ब,

c. समिति के वैद्य कार्यकाल की सूची,(सूचना के अधिकार से प्राप्त सूची मान्य नही होगी)

d. मदरसा भवन किराये का हो तो किराया–नामा (वैद्य), निजी हो तो केवल बिजली का बिल,

e. मदरसे का बोर्ड सहित फोटो जिसमें मदरसे का सम्पूर्ण विवरण अंकित हो,

f. समिति अध्यक्ष का आधार–कार्ड।

दस्तावेज़ो का विवरण–

1. ऑनलाइन आवेदन में मदरसे से संबंधित समस्त जानकारियां विशेषकर मदरसा संचालन समिति की जानकारी, छात्र–छात्राओं की कक्षावार संख्या सांख्यिकी–पत्रक (प्रारूप–अ) अनुसार भरे, शिक्षकों की जानकारी सही भरे।

2. मदरसों में आयोजित की गई परीक्षाओं के परीक्षाफल पत्रक अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित सांख्यिकी–पत्रक (प्रारूप–अ) 2 प्रतियों में और छात्र–छात्राओं की कक्षावार SSMID की जानकारी प्रारूप–ब में 2 प्रतियों में बनायें और उसे क्षेत्र के संकुल केन्द्र से अनुमोदित कराकर ही ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करें। (केवल मदरसे की सील लगाकर इन प्रारूपों को अपलोड नही करें अन्यरथा ऑनलाइन आवेदन रिजेक्ट किया जावेगा।

3. मदरसा संचालन समिति (म.प्र.मदरसा बोर्ड में पंजीकृत समिति, रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसाइटीज के अधीन पंजीकृत समिति एंव वक्फ बोर्ड के अधीन पंजीकृत समिति इनमें जिस समिति से मदरसा संचालित किया जा रहा हो) के पदाधिकारियों की वैद्य सूची अपलोड करें। यदि मदरसा बोर्ड की समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो तो उसका ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन कर उस आवेदन की प्रति अपलोड कर सकते है।(यह सुविधा केवल मदरसा बोर्ड में पंजीकृत समितियों के लिये है अन्य कार्यालयों में पंजीकृत समितियों के लिये यह सुविधा नही है) ।

4. मदरसा संचालन समिति किसी भी विभाग में पंजीकृत हो उसका कार्यकाल DD/MM/YYYY फॉरमेट में उपलब्ध करायें।

5. म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा समिति परिवर्तन पंजीयन आवेदन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। इसके अन्तर्गत वह समितियां जो अन्य कार्यालयों में पंजीकृत है समान नाम एवं समान पदाधिकारियों सहित मदरसा बोर्ड में समिति परिवर्तन पंजीयन का ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी।

6. यदि मदरसा किराये के भवन में स्थापित है तो ओरिजनल किराया–नामा, यदि मदरसा निजि भवन में स्थापित हो तो ओरिजनल बिजली का बिल स्केन कराने के लिये लेकर जायें।

सत्र 2017-20 के लिये

7. मदरसे के मुख्य द्वारा के बाहर एक बोर्ड लगायें जिसमें मदरसे का पंजीयन क्रमांक,मदरसे का पता , नाम इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण अंकित हो, उसका फोटो स्केन कराकर अपलोड करायें।

8. मदरसा संचालन समिति के अध्यक्ष का आधार–कार्ड स्केन कराकर अपलोड कराये एवं इसका नंम्बर फार्म में अंकित करें।

9. म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा समस्त प्रकार के ऑनलाइन आवेदन के निराकरण के संबंध में जानकारी मदरसों के द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाईल नं. पर SMS द्वारा भेजी जाती है इसलिये मोबाईल नं. वास्तविक उपलब्ध कराये और समय–समय पर प्राप्त SMS को ध्याानपूर्वक पढे और उसके अनुसार कार्यवाही करें।

10. मदरसे का पता पूर्व से ही ऑनलाइन फार्म में अंकित होगा आपको केवल मदरसे का वार्ड, ब्लॉक एवं तहसील की जानकारी भरना है । पता परिवर्तन हेतु बोर्ड में अलग से नियमानुसार आवदेन करना होगा।

11. मदरसा बोर्ड में उपलब्ध डाटा के अनुसार ऑनलाईन आवेदन में मदरसा संचालन समिति के अध्यक्ष का जो नाम दिखाया गया है यदि मदरसा समिति में अब वह नही है तो मदरसा संचालन समिति में नियुक्त अध्यक्ष की जानकारी प्रस्ताव में लगाकर भेजें एवं मदरसा संचालन समिति के अध्यक्ष का आधार अथवा वोटर आई–डी कार्ड ओरिजनल ही अपलोड करायें।

<u>आ. आवेदन उपरांत बोर्ड को भेजा जाने वाला प्रस्तास–</u>

1. मदरसा मान्यतता नवीनीकरण का ऑनलाइन आवदेन करने के बाद उसका प्रिंट निकालने पर एक पत्र भी निकलेगा जो मदरसा संचालन समिति के अध्यक्ष की ओर से बनाया गया है इसमें प्रस्ताव की जानकारी एवं भेजे जाने वाले दस्तावजों की सूची दी गई है इसके अनुसार दस्तावेज संलग्न करें एवं इस पत्र पर मदरसा अध्यक्ष / सचिव द्वारा सील सहित हस्ताक्षर कर सबसे उपर लगाकर भेजना है।

2. ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये दस्तावेजों की प्रतियां निम्नानुसार भेजे–

   a. मदरसों में आयेजित की गई परीक्षाओं के परीक्षाफल पत्रक अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप–अ (सांख्यिकी–पत्रक) मूल प्रति में संकुल केन्द्र से अनुमोदित कराकर भेजे।
   b. छात्र–छात्राओं की कक्षावार SSSMID की जानकारी प्रारूप–ब मूल प्रति में संकुल केन्द्र से अनुमोदित कराकर भेजे।
   c. मदरसा संचालन समिति के अध्यकक्ष का आधार कार्ड की छाया प्रति प्रमाणित कर भेजे।
   d. समिति के पदाधिकारियों की अपडेट अनुमोदित सूची की छायाप्रति प्रमाणित कर भेजे।
   e. किराया नामा अथवा बिजली का बिल की छायाप्रति भेजे।
   f. मदरसे का ओरिजनल फोटो प्रस्ताव में संलग्न करें।
   g. यदि बोर्ड में समिति परिवर्तन पंजीयन आवेदन या समिति नवीनीकरण का ऑनलाईन आवेदन किया है तो उस आवेदन की पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रति भी इसी आवेदन के साथ भेजे।

3. उपर अंकित दस्ता्वेजों को एक फाईल में क्रमानुसार संलग्न करें और उसे आवेदन उपरांत तैयार कर तत्काल मदरसा बोर्ड में भेजने पर ही आपके मदरसे की मान्यता नवीनीकरण संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी।

<u>इ. मदरसा बोर्ड द्वारा जारी 3 सत्रों की मान्यता प्राप्त करने के बाद के कार्यक्रमः–</u>

मदरसा बोर्ड द्वारा जारी 3 सत्रों की मान्यकता प्राप्त करने के बाद के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी मान्यता नवीनीकरण के प्रमाण–पत्र में अंकित है इसें ध्याानपूर्वक पढें और उसके मुताबिक मदरसा संचालित करें।

<u>ई. म.प्र. मदरसा बोर्ड से संबंधित अन्य सूचनायें–</u>

❖ म.प्र.मदरसा बोर्ड की वेबसाईट **<u>www.mpmb.org.in</u>** के नाम से संचालित है।
❖ इस वेबसाईट के माध्यम से म.प्र. मदरसा बोर्ड अपने अधीन पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त मदरसों के लिये समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा। समय–समय पर इसके माध्यम से दिशा–निर्देश प्राप्त करते रहे।
❖ किसी भी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि कोई कठिनाई आये तो निःसंकोच बोर्ड कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0755–2735931 पर संपर्क करें।
❖ बोर्ड से पत्र व्यवहार करते समय पत्र में मदरसा पंजीयन क्रमांक एवं अपना मोबाईल नं. अवश्य लिखें ।

———————————

सत्र 2017-20 के लिये